मध्यप्रदेश शासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 07.09.2018

क्र. एफ 16-10/2018/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स व्ही. ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. का औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा जिला भोपाल में व्यवसायिक वाहन निर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव इन्टेन्शन-टू-इन्वेस्ट क्रमांक CIE-14535, पूंजी निवेश रू. 500 करोड़ के प्रस्ताव पर निम्नानुसार विशेष सुविधाऐं दी जावे:-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति 2014(यथा संशोधित 2017) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले स्थाई पूंजी निवेश (भवन, प्लांट एवं मशीनरी) पर 40% की समान दर से शर्तो के अध्याधीन दी जावे उक्त सहायता में वार्षिक उत्पादन एवं वार्षिक रोजगार गणक मान्य किया जावेगा, परन्तु निर्यात गणक की अधिकतम वैल्यू "1" ही रहेगी ।
2. **निवेश अवधि** - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 3 वर्ष तक स्थाई पूंजी निवेश (भवन, प्लांट एवं मशीनरी) को सुविधाओं की गणना हेतु मान्य किया जावे।
3. **विद्युत टेरिफ में रियायत** - परियोजना को रू. 5.00 प्रति यूनिट की स्थिर दर पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो तक विद्युत उपलब्ध करायी जावे। परन्तु यह रियायत 31 मार्च, 2027 के पश्चात् देय नही होगी । संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) मध्यप्रदेश ट्रायफेक से अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेगी ।
4. **विद्युत शुल्क से छूट** - नवीन विद्युत कनेक्शन अंतर्गत लिये जाने वाले विद्युत भार पर 33 केव्ही कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि तक 132 केव्ही कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि तक एवं 220 केव्ही कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

5. कम्पनी की परियोजनाओं को स्वीकृत सुविधाओं का का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

6. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

7/9/18

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-10/2018/ए-ग्यारह **भोपाल, दिनांक** 07.09.2018

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला भोपाल ।
6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स व्ही. ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि, 102, औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक-1, पीथमपुर, जिला धार -454775।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग